अवैध प्लाटिंग करने वालो पर नगर निगम भिलाई द्वारा की गई कार्यवाही

भिलाईनगर/नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोहका में खसरा क्रमांक 716 के 3 एकड़ भूमि पर किये जा रहे अवैध प्लाटिंग पर निगम प्रशासन एवं पुलिस बल की टीम ने कार्यवाही कर निर्माण किये गये अवैध बाउण्ड्रीवाल को ध्वस्त कर भूमि को मूल स्वरूप प्रदान किया।

भिलाई निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर तहसीलदार गुरूदत्त पंच भाई, राजस्व अमला एवं पुलिस बल की संयुक्त टी ने कार्यवाही करते हुए ग्राम कोहका के खसरा नं. 716 के 3 एकड़ भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर बनाये गये बाउण्ड्रीवाल को जे.सी.बी के से गिराया गया। निगम को शिकायत प्राप्त हुआ था कि ग्राम कोहका के खसरा नं. 716/1 के तीन एकड़ भूमि पर बिना अनुमति के शिव बिहार कालोनी के नाम पर नई कालोनी बनायी जा रही है, जहाॅ स्थित प्लाट पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया जा रहा है। सूचना पर आयुक्त ने भवन शाखा तथा जोन-1 के राजस्व विभाग को कार्यवाही के निर्देश दिये थे। संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और वहां मुरूम डालकर बनाये गये बाउण्ड्रीवाल को जे.सी.बी. से ध्वस्त किया गया। कार्यवाही में भवन अधिकारी हिमांशु देशमुख, उपअभियंता सिद्वार्थ साहू, सहायक राजस्व अधिकारी धीरज साहू, निगम का तोड़फोड़ दस्ता सहित निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

नगर निगम भिलाई प्लाट खरीदने वाले हितग्राहियो से यह अपील करती है कि निगम क्षेत्र में भूमि क्रय करने के पूर्व अवैध प्लाटिंग के संबंध में दस्तावेज दिखाकर के. आर. कृष्ण वर्मा मोबाईल नम्बर 91-8770060356 से जानकारी प्राप्त कर सकते है।